न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः श्री रामसिंह गुर्जर (RAS)

प्रकरण संख्याः– 30/24 (पुराना 207/07)
दायरा दिनांकः– 26.03.2024 (10.07.2007)
निर्णय दिनांकः– 08.07.2025

उनवान

1. महेन्द्रसिंह सिंघवी आत्मज स्व. कन्हैयालाल जाति जैन महाजन पेशा व्यवसाय निवासी 172ए न्यू फतेहपुरिया उदयपुर (राज.)

.....वादी

बनाम

2. हिम्मतसिंह सिंघवी आत्मज स्व. कन्हैयालाल जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं. 8 छबडा जिला बारां (राज.)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. एक्ट 1955
निर्णय दिनांकः– 08.07.2025

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री नीरज माहेश्वरी – वादी
2. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल – प्रतिवादी

1. यह वाद प्रकरण संख्या 207/2007 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183, 188 के तहत दर्ज किया गया। जिसका निस्तारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा दिनांक 18.01.2018 को किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मे अपील की गई। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा इस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2018 को अपास्त कर इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करे।" प्रकरण श्रीमान RAA कोटा के निर्णय दिनांक 13.02.2020 की पालना में पुनः दर्ज कर विधिवत कार्यवाही शुरू की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम सोलतपुरा तह. छबडा में वादी के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खातेदारी एवं कब्जे काश्त में खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नं. 13 रकबा 23 बीघा (गोबरिया वाला खेत), खसरा नं. 16 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 17 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 102 रकबा 19 बिस्वा (गुर्जर वाली बाडी), खसरा नं. 105 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 106 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 107 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 318 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 319 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 320 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 321 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा चली आ रही है। उक्त आराजियात वादी की पुश्तैनी आराजी है। जो वादी को अपने पिता के खाते से बंटवारे में प्राप्त हुई है। बंटवारे के बाद से निरंतर वादी का उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आया है। वादी बंटवारे के बाद से अपनी पढाई, नौकरी एवं व्यवसाय के सिलसिले में कस्बा छबडा से बाहर रहा है। इस कारण से वादी के पिता ही उक्त आराजी की काश्त व्यवस्था एवं देखरेख करते रहे है। वादी प्रत्येक वर्ष समय–समय पर पिता से उक्त आराजी की काश्त का हिसाब–किताब करते रहे है। सन 1995 में वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी ने उक्त आराजी को अपने छोटे सगे भाई प्रतिवादी हिम्मतसिंह सिंघवी को काश्त करने हेतु संभलाई। जिसका हिसाब–किताब वादी–प्रतिवादी से समय समय पर करता चला आया है। प्रतिवादी अपने बडे भाई मनोहरसिंह सिंघवी की अनुमति से उनके हिस्से की आराजी की भी काश्त व्यवस्था करते आए है। लेकिन प्रतिवादी द्वारा बदनियती से श्री मनोहरसिंह सिंघवी की भूमि हडपने के लिए एक द्वावा माननीय न्यायालय में पेश किया है। वादी ने अपनी खाते एवं कब्जे की आराजी से प्रतिवादी को मौखिक रूप से हटने को कहा तो प्रतिवादी ने वादी को भूमि संभलाने से साफ इंकार कर दिया तथा खातेदारी प्राप्त करने का दावा कर जमीन को अपने खाते बंधाने एवं जमीन पर काश्त नहीं करने देने की बात कही। प्रतिवादी का फरवरी 1995 से माह आषाढ 2007 तक वादी की अनुमति से कब्जा रहा है। लेकिन इसके बाद प्रतिवादी अवैधानिक रूप से बतौर अतिक्रमी काबिज है। वादी अपनी उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है।

3. प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कर कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमियात पर सन् 1972 से लगातार बिना किसी रूकावट के प्रतिवादी का कब्जा है। जिसकी जानकारी वादी को है। वादी ने इस भूमि पर कभी काश्त नही की है। प्रतिवादी का कब्जा मुखालपाना है। वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है। वादी का वाद मियाद बाहर है। प्रतिवादी को उक्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। काउण्टर क्लेम के माध्यम से प्रार्थी खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है। वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे व प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

4. वादी ने जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वादी को अपने पिता के जीवनकाल में ही बंटवारे मे प्राप्त हुयी थी। चूंकि वादी पढ़ाई एवं नौकरी करने के सिलसिले में तथा उसके पश्चात व्यवसाय के कारण छबडा से बाहर चला गया था, इस कारण से वादी ने अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की विवादग्रस्त आराजी को काश्त की व्यवस्था एवं देखरेख हेतु अपने स्व. पिता कन्हैयालाल जी को संभलायी थी। वादी के पिता द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व तक यानि फरवरी 1995 तक वादी की अनुमति से वादी की ओर से विवादित आराजी को काश्त किया था। वादी एवं प्रतिवादी दोनो सगे भाई है, वादी ने इसी आपसी विश्वास एवं रिश्ते के कारण, अपनी उक्त आराजी को काश्त एवं देखरेख की व्यवस्था हेतु फरवरी 1995 के बाद संभलायी और प्रतिवादी 1995 से वादी को उक्त विवादित आराजी की देखरेख एवं व्यवस्था वादी की ओर से करता आया था और वादी से हिसाब–किताब करता चला आया है। वादी के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादी के दूसरे भाई मनोहरसिंह ने भी अपने खातेदारी की आराजी सन 1995 से प्रतिवादी को संभलायी थी लेकिन प्रतिवादी ने बदनियति से सन 2004 में विरूद्ध मनोहरसिंह के खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर दिया और वादी को भी वाद करने के 2 वर्ष पूर्व से मुनाफा काश्त व प्रतिफल देना बंद कर दिया है। प्रतिवादी ने भूमि मे जो भी सुधार किया है, वह वादी की आराजी से प्राप्त आय से किया है, प्रतिवादी का कब्जा 1995 के पश्चात से वादी की सहमति से रहा है, प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कोई विपरीत आधिपत्य नहीं रहा है। वाद पत्र पेश करने के दो वर्ष से प्रतिवादी ने उक्त आराजी की काश्त का हिसाब–किताब करना बंद किया है, प्रतिवादी वर्तमान मे वादी की भूमि पर अवैधानिक रूप से काबिज है तथा जमीन की कीमते बढने से बदनियति के कारण वादी की बंटवारे से प्राप्त आराजी को हडपना चाहता है। जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा पस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जाकर वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

5. प्रकरण मे वाद पत्र, जवाबदावा मय काउंटर क्लेम एवं जवाब उल जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं. 01– वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी का वादी खातेदार कृषक है तथा यह आराजी वादी ने अपने स्वर्गीय पिता की देखरेख में सन् 1972 से 1995 तक रखी है और 1995 से उक्त आराजी वादी की अनुमति से प्रतिवादी ने काश्त व्यवस्था की है। .... (वादी)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तनकी नं. 02– वाद पत्र प्रस्तुति के 2 वर्ष पूर्व से प्रतिवादी वादी की उक्त आराजी पर बहेसियत अतिक्रमी काबिज है जिसे बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। .....(वादी)

तनकी नं. 03– वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। .....(वादी)

तनकी नं. 04– विवादित आराजी पर सन 1972 से प्रतिवादी का निरंतर कब्जा काश्त होने से उस पर विपरित आधिपत्य होने से प्रतिवादी विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। .....(प्रतिवादी)

तनकी नं. 05– आनुतोष ।

6. प्रकरण में वादी की ओर से वादी साक्ष्य में महेन्द्र सिंह सिंघवी का शपथ--पत्र पेश हुआ एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 (प्रदर्श–P1), नकल जमबंदी सम्वत 2057–60 (प्रदर्श–P2), नकल जमाबंदी सम्वत 2053–56 (प्रदर्श–P3), नकल जमाबंदी सम्वत 2049–52 (प्रदर्श–P4), नकल जमाबंदी सम्वत 2041–44 (प्रदर्श–P5), नकल जमाबंदी सम्वत 2036–39 (प्रदर्श–P6), नकल जमाबंदी सम्वत 2028–31 (प्रदर्श–P7) पेश किये। इसी प्रकार प्रतिवादी की ओर से हिम्मत सिंह सिंघवी का शपथ पत्र पेश हुआ।

7. प्रकरण में बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि "ग्राम सोलतपुरा में वाद में वर्णित उक्त विवादित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है जो वादी को अपने पिता कन्हैया लाल जी के खाते से बंटवारे में प्राप्त हुई है। वादी पढ़ाई एवं नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने के कारण, अपने हिस्से में आई भूमि को पहले अपने पिता एवं पिता की मृत्यु उपरांत अपने ही छोटे सगे भाई हिम्मतसिंह को काश्त करवाने हेतु संभलवाई। जिसके द्वारा प्रतिफल की राशि नही देने एवं कब्जा नहीं लोटाने के कारण माननीय न्यायालय में यह वाद पेश करना पडा।"

8. विद्वान अभिभाषक वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी हिम्मत सिंह सिंघवी, वादी की जमीन पर बतौर ट्रैसपासर काबिज है। प्रतिवादी द्वारा एक भी ऐसा साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी 1972 से विवादित आराजी पर काबिज है। साथ ही, तर्क किया कि पारिवारिक बंटवारे की जमीन में प्रतिवादी को Adverse Possession के आधार पर किसी भी स्थिति में खातेदारी अधिकार नही दिए जा सकते एव ना ही राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

काश्तकारी अधिनियम में Adverse Possession के आधार पर खातेदारी अधिकारी देने का कोई प्रावधान है। विद्वान वादी अभिभाषक ने निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को बेदखल किया जावे तथा वादी को प्रतिवादी के अवैध कब्जे से हुए नुकसान की क्षति–पूर्ति के लिए इस वाद पत्र के सहलग्न प्रार्थना पत्र संख्या 160/2007 अन्तर्गत धारा 212(2) में पारित निर्णय के तहत, तहसील कार्यालय में प्रति बीघा प्रति वर्ष जमा संपूर्ण केश सिक्योरिटी मय ब्याज वादीगण को दिलाई जावे। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए–

(a) RRD 2011 Page 508 (b) RRD 2011 Page 508
(c) RRD 2015 Page 726 (d) RRD 2016 Page 464
(e) RRD 2017 Page 770 (f) RRD 2018 Page 285
(g) RRD 2019 Page 418

9. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम में वर्णित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि "विवादित आराजी पर प्रतिवादी का 1972 से लगातार कब्जा है। वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है तथा वादी का बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार भी मियाद बाहर हो जाने से समाप्त हो चुका है। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जावे।" विद्वान अधिवक्ता ने अपने पक्ष के समर्थन मे माननीय उच्चतम न्यायाल के civil Appeal no. 7764 of 2014 dated 7-8-2019 रविन्द्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

10. बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों/दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का विस्तृत अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, न्यायिक दृष्टांतो एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर इस प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नं. 01– वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी का वादी खातेदार कृषक है तथा यह आराजी वादी ने अपने स्वर्गीय पिता की देखरेख में सन् 1972 से 1995 तक रखी है और 1995 से उक्त आराजी वादी की अनुमति से प्रतिवादी ने काश्त व्यवस्था की है।

तनकी नं. 02– वाद पत्र प्रस्तुति के 2 वर्ष पूर्व से प्रतिवादी वादी की उक्त आराजी पर बहेसियत अतिक्रमी काबिज है जिसे बेदखल कर वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चूंकि इन दोनों तनकियों का मूल विषय एक जैसा है इसलिए तनकी नं. 1 एवं तनकी नं. 2 का एक साथ निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है–

तनकी नं. 1 एवं 2 को साबित करने का भार वादी पर है। खाता संख्या 47 ग्राम सोलतपुरा की नकल जमाबंदी सम्वत 2061–64 (प्रदर्श–P1), नकल जमबंदी सम्वत 2057–60 (प्रदर्श–P2), नकल जमाबंदी सम्वत 2053–56 (प्रदर्श–P3), नकल जमाबंदी सम्वत 2049–52 (प्रदर्श–P4), नकल जमाबंदी सम्वत 2041–44 (प्रदर्श–P5), नकल जमाबंदी सम्वत 2036–39 (प्रदर्श–P6), नकल जमाबंदी सम्वत 2028–31 (प्रदर्श–P7) में महेन्द्रसिंह पुत्र कन्हैयालाल कोम महाजन साकिन छबडा, खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है। अर्थात वादी लगातार खातेदार कृषक के रूप मे दर्ज है। वादी ने अपने बयानों एवं जिरह में कथन किया है कि "पारिवारिक बंटवारे मे प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को अपने पिता के जीवित रहने तक उनके पास एवं पिता की मृत्यु के बाद अपने छोटे भाई के पास काश्त करने के लिए रखी थी। क्योंकि वादी पढ़ाई एवं नौकरी के लिए बाहर रहता था।" प्रतिवादी ने अपनी जिरह मे कबूल किया है कि "वादी को विवादित आराजी पैतृक जायदाद के रूप में प्राप्त हुई है एवं वादी पढ़ाई एवं नौकरी के लिए बाहर रहता था तथा कभी–कभी छबडा आता था।" प्रतिवादी ने सन 1972 से अपना कब्जा होना बताया है परन्तु इससे साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है।

यहां यह भी विचारणीय है कि पारिवारिक विभाजन में प्राप्त पैतृक जायदाद को एक सदस्य के घर से बाहर रहने या परिवार के दूसरे सदस्य द्वारा कृषि कार्य करने पर **'साधिकार कब्जा'** नहीं माना जा सकता तथा खातेदार कृषक के रूप में दर्ज परिवार के सदस्य को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यहां विद्वान वादी अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 2017 Page 770 का यह उद्धरण उल्लेखनीय है–

"कब्जा से तात्पर्य केवल मौका कब्जा से नहीं है वरन विधिक रूप से भी खातेदार होना आवश्यक है। किसी भी अतिचारी को केवल एडवर्स पेजशन के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती।"

इस प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपना कब्जा साबित करने के लिए केवल मौखिक साक्ष्य पेश किए है। इस सम्बन्ध में विद्वान वादी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 2018 Page 285 के उद्धरण, **"निर्णय राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर होना चाहिए न कि केवल मौखिक साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए"**, से यह न्यायालय सहमत है।

अतः ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत प्रकरण में यह माना जाना न्यायोचित है कि प्रतिवादी साधिकार कब्जा नहीं रखता है तथा एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है एवं पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त जमीन पर प्रतिवादी ने वादी की अनुमति

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

से ही काश्त व्यवस्था की है। अर्थात वादी विधिक रूप से खातेदार कृषक है एवं प्रतिवादी अवैध अतिक्रमी के रूप में काबिज है इसलिए वादी आरटीए की धारा 183 के तहत प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी नं. 1 व तनकी नं. 2 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 03– वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है।

चूंकि तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष मे निर्णित हुई है। इसलिए वादी विधिक रूप से खातेदार कृषक है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत, प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः तनकी नं. 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 04– विवादित आराजी पर सन 1972 से प्रतिवादी का निरंतर कब्जा काश्त होने से उस पर विपरित आधिपत्य होने से प्रतिवादी विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने अपने बयानों मे कथन किया है कि प्रतिवादी का सन 1972 से कब्जा है परन्तु अपने पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए। प्रतिवादी ने जिरह मे स्वीकार किया है कि " विवादित आराजी मे मेरे कब्जे से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है" अर्थात प्रतिवादी पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त अपने बड़े भाई की जमीन पर साधिकार कब्जा रखता हो, यह साबित करने मे विफल रहा है।

प्रतिवादी ने विपरित आधिपत्य (Adverse Possession) के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करवाना चाहा है। इसके समर्थन मे माननीय उच्चतम न्यायाल के civil Appeal no. 7764 of 2014 dated 7-8-2019 रविन्द्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर न्यायिक दृष्टांत पेश किया है। यह विचारणीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विपरित आधिपत्य (Adverse Possession) के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करने के प्रावधान नहीं है। माननीय न्यायालय राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड ने अपने ऐतिहासिक निर्णय सन्दर्भ RRD 2011 Page 508 जगदीश बनाम सीताराम में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "Adverse Possession के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते। इसी प्रकार विद्वान वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRD 2017 Page 770 का यह उद्धरण विचारणीय है–

"any possession which has not been obtained by lawful means is not a legal possession and cannot be treated possession at all. The judgments of both the learned lower courts are against the

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

very principle of a legal society. How and why an encroacher can be protected by law against the real owner? If the law will protect such type of illegal encroachment, it will be danger to the civil society and it will be a reward to the anti social elements and we are not going to accept law in such a way." जिससे यह न्यायालय सहमत है।

जहां तक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का सवाल है, यह न्यायिक दृष्टांत ऐसे मामलों से सम्बन्धित है जिनमें एक व्यक्ति एडवर्स पजेशन के आधार पर स्वत्व के अधिकार प्राप्त कर चुका हो। चूंकि इस प्रकरण में वादी दर्ज खातेदार कृषक है एवं प्रतिवादी अवैध अतिक्रमी। अर्थात प्रतिवादी ने स्वत्व के अधिकार प्राप्त नही किए है। अतः इस सम्बन्ध में इस न्यायालय का विनम्र मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय कि उक्त न्यायिक नजीर प्रश्नगत प्रकरण पर चस्पा नही होती है। उपरोक्त के क्रम में, प्रतिवादी Adverse Possession के आधार पर खातेदारी कृषक घोषित होने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 05– आनुतोष

न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि **"न्याय न केवल होना चाहिए परन्तु न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए"**, इस क्रम में वाद पत्र में वर्णित आनुतोष " अन्य न्यायोचित सहायता" के सम्बन्ध में इस न्यायालय का यह विनम्र मत है कि वादी विवादित आराजी का वैध खातेदार कृषक है तथा प्रतिवादी अवैध अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। इसलिए **"mesne profit"** के न्यायिक सिद्धांत के आधार पर यह न्यायोचित है कि प्रश्नगत प्रकरण में रिसीवरी के तौर पर कार्यालय तहसीलदार छबडा में जमा कैश सिक्योरिटी की संपूर्ण राशि मय ब्याज नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये वादी को सुपुर्द की जावे।

11. उपरोक्त तनकीयात के निर्णय के आधार पर, प्रश्नगत प्रकरण मे चाहे गए आनुतोष का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है–

(अ) वादी विवादित आराजी का खातेदार कृषक है तथा प्रतिवादी अवैध अतिक्रमी है जिसे बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित है।

(ब) वादी वैध खातेदार कृषक है। इसलिए प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

(स) वादी खातेदार कृषक है इसलिए वादी को अपनी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की वजह से हुई क्षति–पूर्ति के रूप में, रिसीवरी भूमि में कार्यालय तहसीलदार छबडा मे जमा कैश सिक्योरिटी की संपूर्ण राशि मय ब्याज नियमानुसार विधिक प्रक्रियानुसार वादी को दिया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

(द) प्रतिवादी का विपरित आधिपत्य के आधार पर खातेदार कृषक घोषित करवाने का आनुतोष खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है। वादी को उक्त विवादित आराजी का खातेदार कृषक मानते हुए तहसीलदार छबडा को आदेश दिए जाते है कि ग्राम सोलतपुरा की आराजी खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नं. 13 रकबा 23 बीघा (गोबरिया वाला खेत), खसरा नं. 16 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 17 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 102 रकबा 19 बिस्वा (गुर्जर वाली बाडी), खसरा नं. 105 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 106 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 107 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 318 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 319 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 320 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 321 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर व्यवधान पैदा न करे एवं वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे। तहसीलदार छबडा को आदेश दिए जाते है कि इस प्रकरण में रिसीवरी भूमि की कार्यालय तहसीलदार छबडा में जमा कैश सिक्योरिटी की संपूर्ण राशि मय ब्याज विधिक प्रक्रिया अपनाकर वादी को सुपुर्द की जावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 30 / 24 (पुराना 207 / 07)	धारा 183, 188 ए आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक–08.07.2025

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति अभिभाषकवादी–श्री नीरज माहेश्वरी	अभिभाषकप्रतिवादी– रामेश्वर प्रसाद गोयल

वाद शीर्षक

उनवान

महेन्द्रसिंह सिंघवी आत्मज स्व. कन्हैयालाल जाति जैन महाजन पेशा व्यवसाय निवासी 172ए न्यू फतेहपुरिया उदयपुर (राज.) ....वादी

बनाम

हिम्मतसिंह सिंघवी आत्मज स्व. कन्हैयालाल जाति जैन महाजन निवासी वार्ड नं. 8 छबडा जिला बारां (राज.) ....प्रतिवादी

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है। वादी को उक्त विवादित आराजी का खातेदार कृषक मानते हुए तहसीलदार छबडा को आदेश दिए जाते है कि ग्राम सोलतपुरा की आराजी खाता संख्या 47 की भूमि खसरा नं. 13 रकबा 23 बीघा (गोबरिया वाला खेत), खसरा नं. 16 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 17 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं. 102 रकबा 19 बिस्वा (गुर्जर वाली बाडी), खसरा नं. 105 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 106 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नं. 107 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 318 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 319 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं. 320 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 321 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर व्यवधान पैदा न करे एवं वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे। तहसीलदार छबडा को आदेश दिए जाते है किइस प्रकरण में रिसीवरी भूमि की कार्यालय तहसीलदार छबडा में जमा कैश सिक्योरिटी की संपूर्ण राशि मय ब्याज विधिक प्रक्रिया अपनाकर वादी को सुपुर्द की जावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 08.07.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां
छबड़ा (बारां)

क्र.सं.		व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1	वादपत्र / लिखित कथन		
2	अभिभाषकनामा (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीसकमिश्नर		
8	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज ( )		
10	योग		